संख्या-38/2021/4356/96-आयुष-1-2021-352/2018टी0सी0

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 12 नवम्बर, 2021**

विषय- राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-93/332टी0सी0/योजना/2021-22, दिनांक 08.11.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-26/2019/2646/96-आयुष-1-2019-352/2018टी0सी0, दिनांक 26.10.2019 द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-832.51 लाख + नियमानुसार जी0एस0टी0 देय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-410.764 लाख अवमुक्त किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास के निर्माण कार्य हेतु मूल्यांकित लागत धनराशि रू0-832.51 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-380.00 लाख (रू0 तीन करोड अस्सी लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1. आगणन में ली गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की है।
2. आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इण्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु ही प्रयोग किया जाये।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
4. प्रयोजना अंतर्गत कार्यमदों/विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यॉकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण/स्थापना का कार्य किया जायेगा।
6. परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं संबंधित निदेशक का होगा।
7. परियोजना में प्रस्तावित कार्यों/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/ सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट ऑफ गुडस) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0 टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0मार्केट प्लस (जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं अन्य जिला स्तर की प्रायोजनाओं में संबंधित निदेशक का होगा।
10. प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य हैं एवं इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।
11. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।
12. प्रायोजना का कोई पुनरीक्षित अनुमन्य नहीं होगा।
13. उपकरण/फर्नीचर क्रय, बॉट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।
14. प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।
15. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
16. सम्बन्धित परियोजनाओं के ऑगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।
17. यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गत उच्च विशिष्टियॉ सम्मिलित हैं तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
18. अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्त करने के पश्चात वीडियोग्राफी इस तरह से करायी जायेगी जिससे कि अनुरक्षण के कार्य स्पष्ट सत्यापित किये जा सकें।
19. निदेशक/संबंधित प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
20. निदेशक/प्राचार्य द्वारा वित्त बजट अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21. निदेशक/प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति तो नहीं हो रही है।
22. निदेशक, आयुर्वेद सेवायें एवं संबंधित प्राचार्य द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्ष: 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05-आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल-00 के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-38/2021/4356(1)/96-आयुष-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) संबंधित मुख्य कोषाधिकारी (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।

(4) वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(6) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।

(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

शैलेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।